संख्या-1081/2026/711/22-2-2026-17(380)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह (दिनांक 01.08.2024 तक 74 वर्ष), ग्राम-उर्स/अर्रा, थाना-नौबस्ता, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.1980 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-543/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 201, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-03, कानपुर के आदेश दिनांक 30.04.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.02.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.08.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 01 माह 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु भविष्य में भी गम्भीर तथा जघन्य अपराध कारित किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 01.08.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 01 माह 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेश सिंह उर्फ रामनरेश सिंह (बन्दी संख्या-317/2023) पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1081/2026/711(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।